

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर. ए. एम.)

अनुवान :- रामस्वरूप वनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 40 / 2024

निर्णय दिनांक :- 25.06.2024

रामस्वरूप पुत्र मु. वशीधर जाति सुनार निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहवा तारानगर जिला चूरु

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा साहवा के जमाबंदी सम्वत 2075- 2078 के खाता सं. 1074/1030 के खसरा नं. 137 तादादी 10.4195 हैक्टेयर, खसरा नं. 1775/1145 तादादी 2.6681 हैक्टेयर, खसरा नं. 1973/1145 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नं. 2402/2377 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 13.9854 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। कृषिभूमि के पड़ोसियान हमेशा साँव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नहीं होना जाहिर

6
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरु)

किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के रोही मौजा साहवा के जमाबंदी सम्वत 2075- 2078 के खाता सं. 1074/1030 के खसरा नं. 137 तादादी 10.4195 हैक्टेयर, खसरा नं. 1775/1145 तादादी 2.6681 हैक्टेयर, खसरा नं. 1973/1145 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नं. 2402/2377 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल क्षेत्रफल 13.9854 हैक्टेयर भूमि की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारों में है। प्रार्थी अपने खेत व काशत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीकी भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थी की कृषिभूमि खसरा नं. 137 तादादी 10.4195 हैक्टेयर, खसरा नं. 1775/1145 तादादी 2.6681 हैक्टेयर, खसरा नं. 1973/1145 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नं. 2402/2377 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल तादादी 13.9854 हैक्टेयर भूमि रोही साहवा तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्ह का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय को एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

सुर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
तारानगर तारानगर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
तारानगर तारानगर (चूरु)